सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 10, मंगलवार, *शाके* 1944-नवम्बर 01, 2022 *Kartika 10, Tuesday , Saka 1944- November 01, 2022*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 01, 2022

संख्या एफ.15(11)पंरावि/विधि/पं.सं.गठन/पाली/2022/1420:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1206 दिनांक 13.09.2022 द्वारा पाली जिले की पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड जंक्शन का पुनर्गठन कर पंचायत समिति बगडी का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड जंक्शन में कार्यरत संबंधित विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 01, 2022

संख्या एफ.15(11)पंरावि/विधि/पं.सं.गठन/पाली/2022/1421:- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1206 दिनांक 13.09.2022 द्वारा पाली जिले की पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड जंक्शन का पुनर्गठन कर पंचायत समिति बगडी का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जिला कलेक्टर पाली को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पुनर्गठित पंचायत समिति सोजत व मारवाड जंक्शन तथा नवसृजित पंचायत समिति बगडी के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) का गठन एवं इनके आरक्षण तथा प्रधान पद के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां प्रत्यायोजित करती है ।

आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।